COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
103 / 28.5.15	28.5.15	28.5.15	

न्यायालय उपजिलाधिकारी जखनियां गाजीपुर

वाद सं
सुखई सिंह शि0स0 5830
बनाम
अजय,सुधा आदि

धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा-युसुफपुर
परगना-शादियाबाद
तहसील-जखनियां
जनपद-गाजीपुर

प्रार्थी सुखई सिंह एजुकेशनल मेमोरियल आंफ सोशल ट्रस्ट युसुफपुर द्वरा संचालित सुखई सिंह कालेज आंफ फार्मेसी युसुफपुर प्रबंधक सुधा सिंह निवासी ग्राम युसुफपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनियां जनपद गाजीपुर ने सुधा सिंह स्त्री अजय समस्त निवासीगण ग्राम युसुफपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनियां जनपद गाजीपुर व गांव सभा युसुफपुर बजरिये ग्राम प्रधान युसुफपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनियां जनपद गाजीपुर को बतौर प्रतिवादी बनाते हुए मौजा युसुफपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनियां स्थित खाता सं0 593 की आ0न0/रकबा 97मि/0.04300 हे0 में स्र आ0न0/रकबा 97मि/0.126 हे0 भूमि पर विद्यालय भवन बना हुआ है | जो सुखई सिंह कालेज आफ फार्मेसी युसुपुर के रूप मे संचालित है | जो कृषि प्रयोजन से भिन्न है | इस पर कृषि कार्य नही होता है |उस आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने का निवेदन किया है |

पत्रावली आख्या हेतु तहसीलदार को प्रेषित की गयी | आख्या के उपरान्त पत्रावली प्राप्त हुई | जिसमें उल्लेक किया गया है कि मौजा युसुफपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनियां स्थित खाता सं0 593 की आ0न0/रकबा 97मि/ 0.4300 हे0 में स्र आ0न0/रकबा 97मि/0.126हे0 भूमि पर विद्यालय भवन बना हुआ है | जो सुखई सिंह कालेज आफ फार्मेसी युसुफपुर के रूप में संचालित है | जो कृषि प्रयोजन से भिन्न है | स पर कृषि कार्य नही होता है | उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नही है | अकृषिक घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है |

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वादी के तर्क को सुना गया | पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा युसुफपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनियां स्थित खाता सं0 593 की आ0 न0/ रकबा 97मि/0.4300 हे0 में से आ0न0/ रकबा 97मि/0.126 भूमि पर विद्यालय भवन बना हुआ है | जो सुखई सिंह कालेज आफ फार्मेसी युसुफपुर के रूप में संचालित है | ज़ो कृषि प्रयोजन से भिन्न है आवेदक ने अपने साक्ष्य के समर्थन में आख्या मय नजरी नक्शा , विद्यालय का फोटो ,उद्धरण खतौनी फ0 वर्ष 1420 लगायत, 1425 फ0 प्रस्तुत किया है | ऐसी स्थित में उक्त आ0न0 /रकबा 97मि /0.4300हे0 को ज0वि0अधि0 की धारा 143 के नियम 135 के तहत अकृषिक प्रख्यापित किया जाना उचित व न्याय संगत हैं|

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः मौजा युसुफपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनियाँ स्थित खाता सं0 593 की आ0न0/रकबा 97मि/0.4300है0 में से आ0न0/रकबा 97मि/0.126है0 भूमि पर विद्यालय भवन होने के कारण उक्त भूमि को आवेदक के नाम कृषि कार्य से भिन्न/अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबंधक जखनियाँ को भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आवश्यक अनुपालन के पश्चात् पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक 18/05/15 ।

18/5/15

(सत्येन्द प्रकाश)
उपजिलाधिकारी
जखनियॉ–गाजीपुर

नकलकर्ता - ह

मिलान कर्ता - ह

सत्य प्रतिलिपि 28/5/15 उप जिलाधिकारी जखनियाँ

अ0उ0 2189 - 180

Scanned with OKEN Scanner

नजरी - नक्शा

ग्राम - मुकुन्दपुर

परगना - शादियाबाद

तहसील - जखनियाँ

जिला - गाजीपुर

आराजी नं० - 97

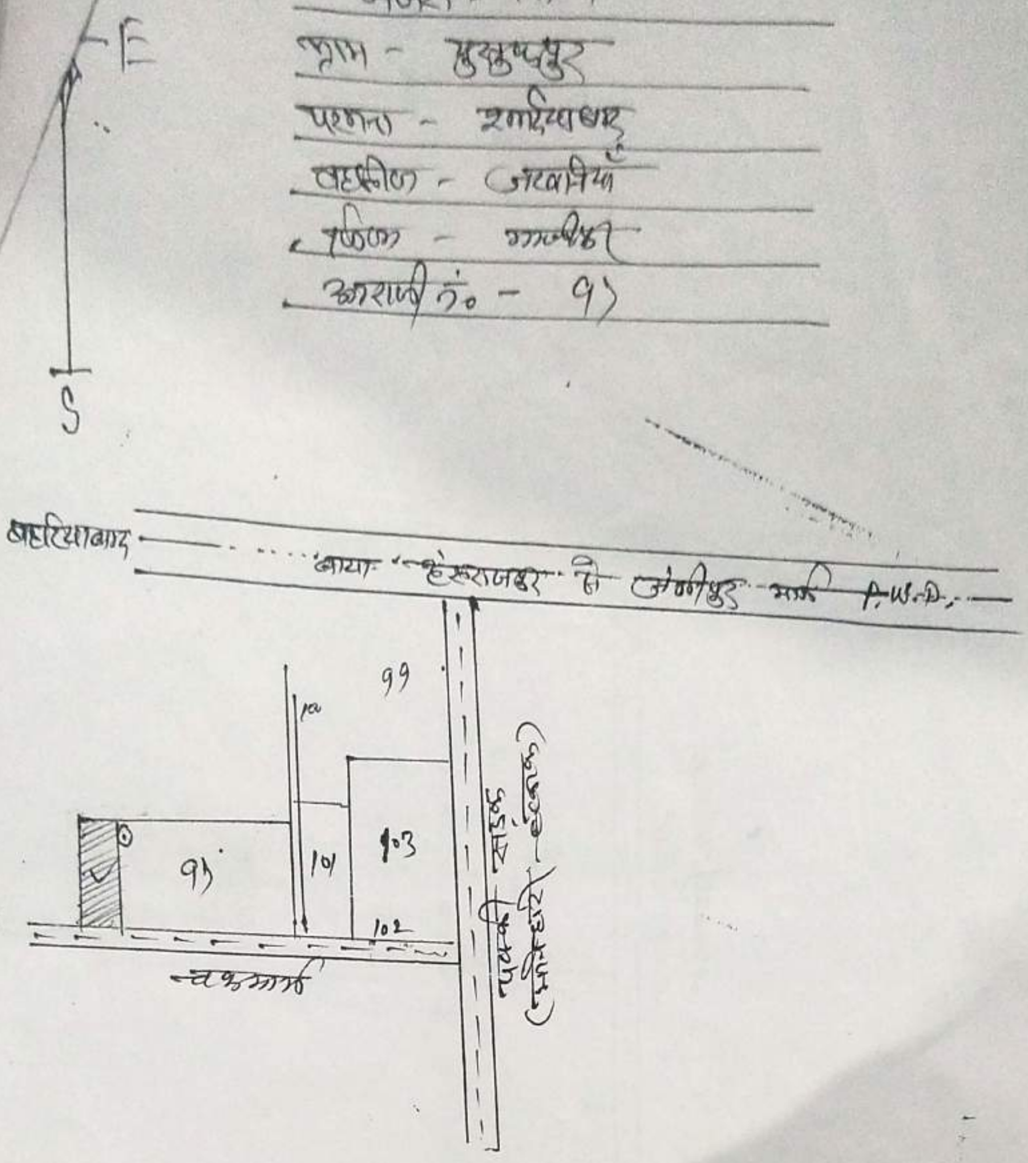

18.4.15